

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर
क्रमांक - ई-18/एम/जोन-जोधपुर/2019/ दिनांक

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 11 (7)वित्त/नियम/2008 दिनांक 12.09.2008 एवं सशोधित आदेश क्रमांक एफ 14 (68)वित्त (नियम)/2008-1 दिनांक 31.12.2009 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार श्री राहुल चौहान, कनिष्ठ सहायक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देचू, जोधपुर जिनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 22.06.2001 है, तथा दिनांक 22.06.2010 को 9 वर्षीय एसीपी देय है परन्तु कार्मिक की एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किये जाने के कारण कर्मचारी को 9 वर्षीय एसीपी दिनांक 22.06.2010 के स्थान पर दिनांक 22.06.2011 से 5200-20200 व ग्रेड पे 2000 एसीपी स्वीकृत किया जाता है।

उक्त कर्मचारी का वेतन नियतन संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पृथक से किया जावेगा।


(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/जोन-जोधपुर/2019/119)

दिनांक 24/05/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
2. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देचू, जोधपुर।
3. श्री राहुल चौहान, कनिष्ठ सहायक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
5. आदेश/निजी पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर